न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 12/2012 (राजसमन्द डिक्री)

1. नारायणसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. महावीरसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. घनश्यामसिंह पिता महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. मोहनसिंह पिता महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. भगवतसिंह पिता महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. पुष्पेन्द्रसिंह पिता महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. शैतानसिंह पिता महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. श्रीमती दुर्गा कंवर पुत्री महावीरसिंह जी पत्नी पप्पूसिंह पुंवार, निवासी देसुरी, तहसील सादडी, जिला पाली (राज.)

3. जेठूसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जयसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़
दिनांक 11.06.2004 प्र.सं. 78/2002

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक 14—02—2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' की साबिक व हाल आराजीयात आमेट में स्थित हैं, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 के पैरा ''ब'' में वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 86/93 भाग होकर वादी का 43/186 भाग है व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 43/186 भाग है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 7/93 भाग है। पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएवं उपरोक्तानुसार विभाजन कराया जाकर उचित विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में वादी का 1/4 भाग नहीं है न ही उसका कब्जा है। उसने पटवारी से मिलकर अपना नाम खाते में दर्ज करवा लिया है। जब वादी का कब्जा ही नहीं है तो प्रतिवादीगण द्वारा काश्त करने से रोकने का कोई आधार नहीं है। विशेष उत्तर में निवेदन किया कि वादी हम प्रतिवादीगण का सगा भाई अवश्य है, किन्तु हमारे पिता ने करीब 25 वर्ष पूर्व ही वादी को उसका हिस्सा देकर उसे अलग कर दिया था, तब से वादी अपने हिस्से की जायदाद पर काबिज है, जिसकी लिखापढ़ी दिनांक 13—02—1959 को की गयी। वादी ने प्रतिज्ञा पत्र में अपना हिस्सा लेना स्वीकार किया है, जिससे वह पाबन्द है। उक्त हिस्सा ले लेने के बाद

भी वादी ने कई मुकदमेबाजी की एवं झगड़ा किया इस पर दिनांक 13–03–1982 को लिखापढ़ी हुई, उस पर वादी कायम नहीं रहा। वादी का नाम गलत दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी के यहां कार्यवाही की गयी, जिस पर दिनांक 29–01–1978 को हम प्रतिवादीगण को ही हमारे पिता का वारिस माना गया तथा वादी का नाम गलत दर्ज होने से तथा 20 वर्ष से वादी का अलग रहने से उसका कोई हक नहीं माना है। इस फैसले के आधार पर हमारे द्वारा इन्द्राज दुरस्ती का दावा भी चलाया गया है। वादी विभाजन का दावा लाने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग के आधार पर निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या वाद के चरण संख्या 1 ''अ'' में अंकित आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहकृषक होकर उसमें वादी का 1/4 हिस्सा है ? ..... वादी
2. क्या वाद के चरण संख्या 1 ''ब'' में अंकित आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 सहकृषक होकर उसमें वादी का 43/186 हिस्सा है ? ..... वादी
3. क्या विवादित भूमियों का विभाजन कराकर वादी को अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है ? ..... वादी
4. क्या प्रतिवादीगण द्वारा दावा संशोधन करा देने के पश्चात उक्त आराजियात में वादी का कोई हिस्सा नहीं रहा है ? ..... प्रतिवादीगण
5. क्या पक्षकारान के पिता ने 25 वर्ष पूर्व विभाजन कर वादी को अलग भूमि का कब्जा दे दिया था ? ..... प्रतिवादीगण
6. क्या दिनांक 13–03–1982 को कोई समझौता हुआ था उस पर वादी कायम नहीं रहा तथा उसका उसर वाद पर है ? ..... प्रतिवादीगण
7. क्या भू–अभिलेख अधिकारी उदयपुर ने प्रतिवादीगण को ही उत्तराधिकारी माना है ? यदि हां तो उसका इस वाद पर क्या प्रभाव ? ..... प्रतिवादीगण
8. सहायता ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण संख्या 6/82 जो कि प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा पेश किया गया था, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–05–1985 को दफा 10 जा.दी. के तहत पश्चातवर्ती दावा होने से उसे स्टे किया जाकर इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया तथा उक्त प्रकरण संख्या 2/82 को फैसल शुमार मानकर इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेने के बाद अपने तनकीवार निर्णय दिनांक 11–06–2004 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10–08–2004 को अपील प्रस्तुत की।

दौराने अपील इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24–05–2006 से आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर कतिपय दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये, जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–11–2007 से रेस्पोन्डेन्ट/वादी की निगरानी खारिज कर दी।

इस न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 147/2004 में उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–09–2008 से अपीलान्टगण की अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–06–2004 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय की अपील वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08–11–2011 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–09–2008 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारों को पुनः सुनकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के खण्डन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में इस न्यायालय में पुनः अपील संख्या 12/2012 के रूप में पंजीकृत की गयी। दौराने कार्यवाही पक्षकारान की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये।

प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों के क्रम में वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा रिबिटल में दिनांक 12–01–2018 को एक आवेदन आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर उसके साथ उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ के निर्णय दिनांक 08–06–2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में नामान्तरकरण की अपील जो कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी द्वारा पेश की गयी थी उसे स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 31–10–1991 का निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया।

→ हमारे द्वारा उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया। यह निर्णय विवदित भूमि से ही संबंधित होकर प्रसांगिक है। हालांकि विलम्ब से पेश किया गया है, परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों तथा प्रसांगिकता के दृष्टिगत न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में उक्त रिबिटल में पेश शुदा दस्तावेज के बाद प्रकरण में विषय वस्तु इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/वादी का विभाजन का वाद जो प्रकरण संख्या 78/2002 में दिनांक 11–06–2004 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया, उसकी प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 147/2004 में दिनांक 24–09–2008 से उक्त प्रारम्भिक डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था, जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08–11–2011 से इस न्यायालय के उक्त निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि रिबिटल में रेस्पोन्डेन्ट/वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये तथा प्रकरण में पुनः तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/वादी की ओर से वकील श्री अक्षय पालीवाल तथा वकील अपीलान्ट श्री संजय बोहरा की बहस सुनी गयी। दौराने बहस

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

→ प्रकरण में अब हमारे द्वारा रिबिटल में पेश शुदा दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जाना है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 24–09–2008 को तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया था।

प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का प्रमुख उजर यह है कि तनकी नंबर 1 का फैसला वादी/रेस्पोन्डेन्ट के हक में करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। इस मामले में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया कि रेस्पोन्डेन्ट का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे, जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट ने कभी कोई अपील नहीं की है। यहां तक कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसार जो नामान्तरकरण खोला गया था एवं जमाबन्दी में इन्द्राज हुए थे, उसे भी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कभी चैलेन्ज नहीं किया गया तथा संवत् 2043 से 2047 की जमाबन्दी स्पष्टता अपीलान्ट के नाम पर थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अंदाज कर दिया है। यह मामला कभी भी एकपक्षीय नहीं किया गया था, इस कारण इसमें आदेश 9 नियम 13 लागू नहीं होता है तथा इस प्रकरण में अपीलान्ट के वकील की गलती से उनकी शहादत बन्द की गयी थी, जबकि अपीलान्ट के वकील ने कह रखा था कि जब आवश्यकता होगी तो वह उन्हें सूचित कर देंगे, परन्तु अपीलान्ट के वकील ने शहादत के लिए अपीलान्ट को कभी भी पत्र नहीं भेजा तथा वकील की गलती से अपीलान्ट की शहादत बन्द कर दी गयी, जबकि लाखों रूपये की प्रोपर्टी का सवाल था। अपीलान्ट अनपढ़ एवं गरीब काश्तकार हैं इस कारण इस मामले में शहादत पुनः खोली जाकर अपीलान्ट की शहादत के लिए मामला रिमाण्ड किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ वस्तुतः इस प्रकरण में तनकी नंबर 1 व 2 वादी का विवादित भूमि में उसका हिस्सा होने से संबंधित होकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी हैं

तथा उक्त तनकी नंबर 1 व 2 में वादी राजस्व रेकार्ड में उसका नाम प्रविष्ट होने के आधार पर विभाजन चाहता है। वहीं प्रतिवादीगण यह कहकर आये हैं कि उसके पिता द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट से अलग से भूमि देकर उसका कब्जा दे दिया गया था अतएवं विवादित भूमियों में वादी/रेस्पोन्डेन्ट का कोई हक हिस्सा नहीं रहा तथा पूर्व में भूमियां दिये जाने व भू–प्रबन्ध विभाग में हुए निर्णयों के आधार पर तनकी नंबर 1 व 2 के रिबिटल की ही तनकी नंबर 4 से 7 संबंधित हैं। वादी यदि तनकी नंबर 1 व 2 को प्रमाणित करवा लेता है जो कि वस्तुतः तनकी नंबर 4 से 7 के विरोध की हैं तो तनकी नंबर 3 तनकी नंबर 1 व 2 की परिणिति में ही वादी के हक के विभाजन से संबंधित है। अर्थात इस प्रकरण में मूल विवाद इस बात का है कि विवादित भूमियां आया कि वादी की सहखातेदारी व हक हिस्से की होकर वादी अपना स्वत्व रखता है अथवा नहीं। वादी प्रमुखता यह कथन लेकर आया है कि विवादित भूमियों में राजस्व रेकार्ड में उसका नाम दर्ज था जो भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान हटा दिया गया, जबकि इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए भू–प्रबन्ध अधिकारी सक्षम नहीं है। वहीं प्रतिवादी/अपीलान्टगण यह कहकर आते हैं कि विवादित भूमियों में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं होने से वादी का नाम हटाये जाने का आदेश सही है तथा वादी द्वारा इस पर सहमति देकर पूर्व में भूमियां प्राप्त कर लेने के आधार पर विवादित भूमियों में अपना हक हिस्सा नहीं होना मान लिया था।

प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्टगण की साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिवक्ता की त्रुटि के कारण उन्हें उचित अवसर प्रदान नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया जाना वांछनीय है कि क्या भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के आधार पर वादी का नाम हटाया जाना औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्टगण के पक्ष में लिखकर दिये गये प्रतिज्ञा पत्र का उक्त प्रकरण में वादी/रेस्पोन्डेन्ट के हक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को उक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है अतएवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्टगण द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात तथा अब इस प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी रिबिटल में नामान्तरकरण की अपील के निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर दी गयी है, तद्नुसार इस प्रकरण में तनकी नंबर

1 व 2 तथा 3 से 7 उपलब्ध नवीन साक्ष्यों के आधार पर पुनः निर्णय की मोहताज रहती हैं, क्योंकि प्रकरण में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उसके आधार पर प्रकरण में वादी/रेस्पोन्डेन्ट के हक अधिकारों का पुनः विनिश्चियन किया जाकर तद्नुसार विभाजन जो कि एक परिणिति है, उस पर निर्णय किया जाना वांछनीय है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी नंबर 1, 2 तथा 4 से 7 में मूल तथ्य यह अभिनिर्धारित किया जाना हैं कि प्रकरण में वादी/रेस्पोन्डेन्ट के सहखातेदार के रूप में प्रविष्ट तथा उसके हक अधिकार विधिक हैं अथवा नहीं। यदि उसके हक अधिकार विधिक होते हैं तो तद्नुसार वह विभाजन का अधिकारी होता है। प्रकरण में चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, तद्नुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिप्रेक्षण के जो पूर्व में आदेश दिये गये हैं उनसे यह न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों के क्रम में तनकीवार विवेचना के स्थान पर इस अभिमत का रहता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की पुनः साक्ष्य लेकर तथा उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जाकर वादीगण के हक अधिकारों का पुनः विनिश्चयन किया जाना वांछनीय होने के दृष्टिगण प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ताकि प्रकरण में न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2004 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

हीरालाल पिता भैरूलाल जी टांक, निवासी कलाल वाटी, राजनगर, तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **किशनलाल पिता मानाराम जी पंवार (चमार), नि0 सलुस रोड़, कांकरोली, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**22 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....04**.....माह.....**07**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**.....माह.....**06**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री सुनील बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–07–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**06**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।